



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38949-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1957/2026

छट्टू साहनी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मनोज कुमार, सोनाक्षी कश्यप

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अमरेश त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेश त्रिपाठी को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका थाना-बरहलगंज, जिला- गोरखपुर में बी.एन.एस., 2023 की धारा 137(2), 87, 74 और पाँक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 651/2025 के उद्भूत करने वाली दिनांक 11.11.2025 की एफ.आई.आर. को खारिज करने की मांग करती है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे अंतरस्थ हेतु वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया परिवाद किया गया कोई अपराध प्रकट नहीं होता और इस प्रकार वर्तमान एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का प्रबलतापूर्वक विरोध किया है और बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के प्रकथन वाली अभियोग दैनिकी की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे याचिकाकर्ता द्वारा जबरदस्ती ले जाया गया और उसने अनुचित रूप से स्पर्श किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया परिवाद किया गया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 एससीसी 779** और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय **आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान ए.जी.ए. ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के प्रकथन वाली अभियोग दैनिकी की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे याचिकाकर्ता द्वारा जबरदस्ती ले जाया गया और उसने अनुचित रूप से स्पर्श किया, और एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथनों तथा विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों और उद्धृत सुसंगत विधि को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को नोट करते हुए कि आक्षेपित एफ.आई.आर. संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारा मत है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. खारिज नहीं की जा सकती।

8. अतः एफ.आई.आर. को खारिज करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

9. वर्तमान रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और तदनुसार खारिज की जाती है।

20 फ़रवरी, 2026

केयू

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।